सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
13, वुड स्ट्रीट,
कोलकाता –700016 (पश्चिम बंगाल)
13, Wood Street,
Kolkata-700016 (West Bengal)
फैक्स/Fax : 033 - 22879038
दूरभाष/Telephone : 033 - 22875732/33/34
ई–मेल/e-mail : wbs.gdc.soi@gov.in

DST@50 1971-2021 DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
Survey of India
पश्चिम बंगाल व सिक्किम
भू–स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
W.B. & SIKKIM GEO-SPATIAL DATA CENTRE
कोलकाता KOLKATA

पश्चिम बंगाल व सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, कोलकाता के नेमी आदेश सं.02/37-जी-11 दिनांक 13.04.2023

West Bengal & Sikkim G.D.C., Kolkata's Routine Order No. 02/37-G-11 dated 13.04.2023

1. **मुख्य मानचित्रकार के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति**
   PROMOTION TO THE POST OF CHIEF DRAFTSMAN ON REGULAR BASIS

भारत के महासर्वेक्षक के पत्रांक सी-7543/1800(1) दिनांक 31 दिसम्बर 2022 के अनुसार निम्नलिखित ग्रुप 'बी'(अराजपत्रित) डिविजन-I को मुख्य मानचित्रकार के पद पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में उनके नाम के आगे वर्णित तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है |

With the approval of the Surveyor General of India vide his letter No. सी-7543/1800(1) dated 31 December 2022, the undermentioned Group'B'(Non-Gazetted) Division-I are hereby promoted to the post of Chief Draftsman on regular basis in the Pay Matrix Level-7 with effect from the date shown against the name below :-

क्रम सं. Sl.No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	जिस पद पर पदोन्नति की जाती है Post to which promoted	वेतन मैट्रिक्स लेवल Level in Pay Matrix	लागू होने की तिथि Date of effect	प्राधिकार Authority
1.	श्रीमति झुमा दत्ता चौधरी, मानचित्रकार, डिविजन–I Smt.Jhuma Dutta Chaudhury, D/	मुख्य मानचित्रकार Chief Draftsman	लेवल-7 Level -7	03.03.2023 (पूर्वाह्न)	भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं.सी-7543/1800(1) दिनांक 31 दिसम्बर 2022, सी-357/1800(1) दिनांक 24 जनवरी 2023 एवं सी-443/1800(1) दिनांक 27

	Man, Div-I				जनवरी 2023.

ii) संबंधित सरकारी कर्मचारी को एफ0आर0 22(I) (क) (1) के अनुसार वेतन नियतन हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा तथा यदि उन्हें एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत एफ0आर0 22(1)(क)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

The concerned Govt. Servant is required to exercise an option under FR 22(I) (a) (1), however if the Govt. servant had already availed the benefit under MACP FR 22(1)(a)(1) then pay will be regularised as per extant rules.

iii) प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में इनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही / सतर्कता जांच/दण्ड लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding /vigilance case/ punishment is pending against her in this office.

iv) इस मद में होने वाला अतिरिक्त व्यय वर्ष 2023-2024 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा एवं उचित लेखा शीर्ष के नामे किया जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the Financial Year 2023-2024 and debited to the appropriate Head of Account.

2. **एम0ए0सी0पी0 योजना के अंतर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का कार्यान्वयन**
SECOND FINANCIAL UPGRADATION UNDER MODIFIED ASSURED CARRIER PROGRESSION SCHEME-IMPLEMENTATION OF

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं०ए-11019/1/2008–सी.डी.एन दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संखा-35034/3/2008-स्था(डी) दिनांक 19-05-2009 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2015-स्था0(डी) दिनांक 22-10-2019 तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र संख्या एस0एम0/02/02/2021 दिनांक 25-08-2021 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता मे कार्यरत निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारी [डिविजन-I (डिव0 II से पदोन्नत)] के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मेट्रिक्स के **लेवल – 7** में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत **द्वितीय** वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

In pursuance of the instruction contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training) O.M.No. 35034/3/2008-Esst. (D) dated 19-05-2009 received under Department of Science & Technology's letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009 and Office Memorandum No. 35034/3/2015-Estt.(D) dated 22-10-2019 and Department of Science and Technology's letter No. SM/02/02/2021 dated 25-08-2021 the following Group 'B' (Non-Gazetted) employee posted in West Bengal & Sikkim Geo-Spatial Data Centre, Survey of India, Kolkata is hereby granted **SECOND** Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme in the **Level-7** of pay matrix of Central Govt. civilian employee from the date mentioned against his name as under :-

क्रम सं. Sl.No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	एम.ए.सी.पी. की देय तिथि Date from which MACP granted	प्राधिकार Authority

1.	श्री शान्ति दास, सर्वेक्षण सहायक Shri Shanti Das, Survey Assistant	01.04.2023 द्वितीय (Second)	भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र संख्या सी-1052/1902 (एम.ए.सी.पी) (WB & S GDC) दिनांक 14 मार्च 2023

ii) एम.ए.सी.पी. से लाभान्वित कर्मी FR 22(I) (a) (1) के प्रावधान के अनुसार विकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे एवं तदनुसार कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वेतन निर्धारण किया जाएगा |

The individual concerned is required to exercise an option for fixation of Pay under FR 22(I) (a) (1) in the scale of pay on grant of Financial Upgradation under MACP Scheme and the pay will be fixed by the Head of Office in accordance with the option.

iii) प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही / सतर्कता जांच/दण्ड लम्बित नही है |

Certified that no disciplinary proceeding /vigilance case/ punishment is pending against him.

iv) इस मद में होने वाले अतिरिक्त व्यय वर्ष 2023-2024 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा एवं उचित लेखा शीर्ष के नामे किया जाएगा |

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the Financial Year 2023-2024 and debited to the appropriate Head of Account.

3. दण्ड / PUNISHMENT

(A) केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1965 के नियम 12 (2) के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा श्री समीर संतरा, अधिकारी सर्वेक्षक को भारत के महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून के पत्र सं.Vig-6236/1196-PF (Samir Santra), दिनांक 22 सितम्बर 2022 के अनुसार निम्नलिखित दण्ड दिया जाता है :-

The following penalties under Rule 12 (2) of Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965 has been awarded to Shri Samir Santra, Officer Surveyor by Disciplinary Authority vide Surveyor General of India, Dehraun’s letter No. Vig-6236/1196-PF(Samir Santra) dated 22 Sep 2022.

- (i.) "असंचयी प्रभाव से तीन साल की अवधि के लिए अगली वेतन वृद्धि को रोक दिया जाएगा" । “Withholding of next increment of pay for a period of three years without cumulative effect.”

- (ii.) सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियम 1988 के नियम 16 (1) और 16 (2) के तहत श्री समीर संतरा, अधिकारी सर्वेक्षक को एल.टी.सी ब्लॉक वर्ष 2022-2025 के लिए स्वंय एवं परिवार के सदस्यों के लिए एल.टी.सी. का दावा करने से वंचित किया जाएगा, अर्थात् एक होम टाउन और एक भारत के किसी भी स्थान के लिए होगा।Shri Samir Santra, Officer Surveyor under Rule 16(1) & (2) of CCS(LTC) Rules 1988, shall also be debarred from claming LTC for self and family members for full LTC block year 2022-2025 i.e one home town & one to any place of India.

केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1965 के नियम 27 के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं.एस0 एम0/ 23/ 01/2023 (E-43347), दिनांक 03 फरवरी 2023 के पत्र के अंतर्गत श्री समीर संतरा, अधिकारी सर्वेक्षक को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित उपरोक्त दण्ड की पुष्टि की गई है।

Under Rule 27 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the Appellate Authority vide Department of Science and Technology letter No. SM/23/01/2023 (E-43347) dated 03 February 2023 has been confirmed the above penalties awarded to Shri Samir Santra, Officer Surveyor by Disciplinary Authority.

(B) सी.सी.एस. अवकाश नियम 1972 के अन्तर्गत श्री आलोक राज, पुत्र श्री रणजीत मंडल एम.टी.एस को निदेशक, पश्चिम बंगाल व सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, कोलकाता के पत्र सं.189/5-A(Alok Raj) दिनांक 01.03.2023 के अनुसार दिनांक 21-05-2022 से 12-10-2022 तक (कुल 145 दिन) की अनुपस्थिति की अवधि को "अकार्य दिवस" (Dies Non) घोषित किया जाता है। इस अवधि की गणना वेतन वृद्धि और पेंशन संबंधी लाभों में नहीं की जाएगी।

As per CCS Leave Rule 1972, Director, West Bengal and Sikkim Geo-spatial Data Center, Kolkata vide letter No.189/5-A(Alok Raj) dated 01.03.2023 had declared the absent period w.e.f. 21-05-2022 to 12-10-2022 (Total 145 days) in respect of Shri Alok Raj son of Shri Ranjit Mandal M.T.S. may be treated as "Dies-non". This period will not count towards increment and pensionary benefits.

(C) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1965 के नियम 12 के उप-नियम 2 में अन्तर्गत श्री राजेन्द्र राम, पुत्र स्व. बिस्सुन राम, एम.टी.एस को निदेशक, पश्चिम बंगाल व सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, कोलकाता के पत्र सं.सी/ए-62/5-A(Rajendra Ram) दिनांक 21.03.2023 के अनुसार निम्नलिखित दण्ड दिया जाता है :-

Under Rule 12 sub-Rule 2 of Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965 following penalties awarded to Shri Rajendra Ram son of Bissun Ram, M.T.S vide Director WB & Sikkim GDC, Kolkata letter No.C/A-62/5-A(Rajendra Ram) dated 21.03.2023:-

"बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि पर रोक " ।

"Withholding one increment without cumulative effect."

एवं &

श्री राजेन्द्र राम, पुत्र स्व. बिस्सुन राम, एम.टी.एस के दिनांक 31 जनवरी 2020 से दिनांक 02 मार्च 2021 तक के अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिवस (Dies-non period) घोषित किया जाता है। Unauthorized absence period from 31-01-2020 to 02-03-2021 in respect of Shri Rajendra Ram son of Bissun Ram, M.T.S. is declared as Dies-non period.

Signed by Uday Shanker Prasad
Date: 25-04-2023 12:31:35
Reason: Approved

उदय शंकर प्रसाद / Uday Shanker Prasad)
निदेशक /
Director
पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जीडीसी,
कोलकाता
W.B. & Sikkim GDC,
Kolkata

वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित
3. वेबसाईट एडमिनिस्ट्रेटर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी लेखा अनुभाग ।
5. फाईल- सम्बंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत फाईल/सेवा पंजिका।
6. नोटिस बोर्ड।